

सस्य विज्ञान फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक: सस्य फार्म / 2017 / 239-248

दिनांक: 22.07.2017

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय के सस्य फार्म पर मूंग, ग्वार, चंवला एवं मोठ की बुवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में 41 हैक्टर में की जा चुकी है। मूंग, ग्वार, चंवला एवं मोठ फसलों को बांटे पर देना है। अतः जो भी इच्छुक व्यक्ति/फर्म फसल को बांटे पर लेना चाहे वे दिनांक 27.07.2017 को प्रातः 11:30 बजे सस्य विज्ञान विभाग में आकर खुली बोली लगा सकते हैं। फसलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	फसल व क्षेत्रफल	प्लॉट नं. व क्षेत्रफल
1.	मूंग 11.5 हैक्टर	10ए व 10बी 2.2 हैक्टर, 12ए 3.1 हैक्टर, 12बी 1.3 हैक्टर, 12डी 0.2 हैक्टर, 16बी 2.0 हैक्टर, 16सी 2.2 हैक्टर, 16डी 0.5 हैक्टर
2.	ग्वार 14.5 हैक्टर	7बी,8ए व 10बी 10 हैक्टर, 8बी,8सी व 8डी 4.5 हैक्टर
3.	चंवला 13 हैक्टर	7ए 2.2 हैक्टर, 11 10.8 हैक्टर
4.	मोठ 1.6 हैक्टर	16ए 1.6 हैक्टर

निविदा की शर्तें एवं नियम :-

1. फसल की सभी फार्म सस्य क्रियाएँ निराई, गुड़ाई, खाद, दवा का छिड़काव, रखवाली, कटाई, थ्रेसिंग आदि समय पर स्वयं को करनी होगी तथा अनाज की बोरियाँ भरकर फार्म गोदाम एवं चारा डेयरी फार्म पर निविदाकर्ता को अपने स्वयं के साधन से डालना होगा।
2. सस्य विज्ञान विभाग/फार्म द्वारा सभी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा तथा फार्म की देखरेख में सभी फार्म सस्य क्रियाएँ करनी होगी।
3. फसल के लिए उर्वरक व कीटनाशक दवाईयाँ महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार दी जावेगी।
4. फार्म प्रभारी के आदेशानुसार फार्म सस्य क्रियाएँ समय पर नहीं करने तथा फसल में किसी प्रकार का नुकसान होने पर बटाई का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. उक्त बोर्ड गई फसलों के बारे में जानकारी व निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में आकर कर सकते हैं।
6. खुली निविदा में भाग लेने वाले को रु. 500/- बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी।
7. जिस व्यक्ति/फर्म के नाम बोली छुटेगी उसको रु. 500/- प्रति हैक्टर बतौर अमानत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी।
8. फसल का थ्रेसिंग कार्य महाविद्यालय के समय में स्वयं की थ्रेसिंग मशीन से ही करना होगा तथा फार्म प्रभारी के आदेशानुसार ही करना होगा। महाविद्यालय का हिस्सा फार्म पर पहुंचाने के बाद ही निविदाकर्ता को अपने हिस्से की पैदावार को महाविद्यालय के मुख्य गेट से ही ले जाना होगा। किसी भी प्रकार का फसल से सम्बंधित सामान चारा, घास, अनाज आदि मुख्य गेट के अलावा ओर कहीं से ले जाने पर धरोहर एवं अमानत राशि जब्त कर कार्यवाही की जावेगी।
9. व्यक्ति/फर्म का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
10. निविदा कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
11. अन्य शर्तें मौके पर ही सुना दी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् आहरण व वितरण अधिकारी, लेखा शाखा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् संयोजक महोदय एवं समस्त सदस्य, निविदा कमेटी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान् प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. सूचना पट्ट,



विभागाध्यक्ष

Prof. & Head

Department of Agronomy
S.K.N. College of Agriculture

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)

JORBNER-30229 (Ra.)